राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........2370 / 2016...................................... जिला ....जोधपुर...

उनवान : मैसर्स सन बेवरेजेज प्रा0 लिमिटेड, जोधपुर.बनाम (1) अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत'सी, जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री राजीव चौधरी,सदस्य**	
15 / 11 / 2016	अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन आदेश क्रमांक 188 / जेयूसी में पारित किये गये आदेश दिनांक 07.10.2016 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 21.07.2016 से सृजित मांग राशि रूपये 77,99,886 / – में से रू.धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि रूपये 47,37,586 / – की वसूली को स्थगित करते हुए, कर व ब्याज की अवशेष राशि रूपये 30,62,300 / – पर स्थगन आदेश जारी किये जाने से इंकार किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2013–14 (01.04.2013 से 31.03.2014 तक) के दौरान **'मैंगो स्लाईस व निंबूज'** नामक पेय पदार्थों को फ्रूट ज्यूस के रूप में 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त उत्पादों को फ्रूट ज्यूस नहीं मानते हुए सिंथेटिक सिरप मानते हुए 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए, 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर व ब्याज रूपये 30,62,300 / – एवं धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 47,37,586 / – सहित कुल रूपये 77,99,886 / – का आरोपण आदेश दिनांक 21.07.2016 से किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त मांग की वसूली के स्थगन हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया स्थगन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 38(4), अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 07.10.2016 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा तक स्थगन स्वीकार किया गया तथा कर व ब्याज की अवशेष राशि वसूलनीय अवधारित की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए, प्रकरण में बकाया मांग राशि **रूपये 30,62,300 / –** की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया है। 15/11/16	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........2370 / 2016...................................... जिला ....जोधपुर...

उनवान : मैसर्स सन बेवरेजेज प्रा0 लिमिटेड, जोधपुर.

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत सी, जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	–: 2 :–	
15.11.2016	अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री जे. एन. शर्मा एवं प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा की बहस सुनी गयी। उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश, अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण में शेष वसूली योग्य मांग राशि **रूपये 30,62,300/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। निर्णय सुनाया गया। 15/11/16 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	